Ncm 2020/00082

फर्द अहकाम्

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत– .... **सहायक कलक्टर** .... मुकाम– .... **डीडवाना** ....

प्रार्थी:– मूलचन्द पुत्र रामेश्वरलाल जाति जांगिड निवासी दयालपुरा तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

बनाम्

अप्रार्थीगण:– अधिशाषी अभियन्ता अ0वि0वि0नि0लि0 डीडवाना तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।

किस्म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या...**01** ...सन्–.....**2020**..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
01.01.2020	प्रार्थी मूलचन्द पुत्र रामेश्वरलाल जाति जांगिड निवासी दयालपुरा तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान ने यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण अधिशाषी अभियन्ता अ0वि0वि0नि0लि0 डीडवाना तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा के पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी सुने गये तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन् करने तथा प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, आगामी आदेश तक वाकै सरहद दयालपुरा के खसरा सं0 673, 688 की कृषि भूमि को खुर्द बुर्द नहीं करें, कृषि भूमि में रबी की खडी फसल को नुकसान नहीं पहुचायें, वादग्रस्त आराजियात में किसी प्रकार का निर्माण या दखल अंदाजी नहीं करें। अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी आदेश तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध व प्रार्थीगण के पक्ष में रबी की कृषि भूमि में खडी फसल को नुकसान न पहुचें इस हेतु आज दिनांक 01.01.2020 को न्यायालय हाजा द्वारा जारी की जाती है। अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनाँक 03.03.2020 को पेश हो। 1/1/20 सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)	
/20	वकील प्रार्थी उप. अप्रार्थीगण के सम्मन [illegible] दिनांक 4/3/20 [illegible] सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.01.02 16:?7:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

20/9/22

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान P.O. सा. अवकाश/ अन्य कार्य। दौरे पर पधारे हैं, मिसल दिनांक 20/11/22 को पेश हो।

21/11/22

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। दिनांक 20/11/22 को राजपत्रित अवकाश होने के कारण पत्रावली आज की तारीख पेशी पर ली गई। प्रतिवादीगण के P.F. समन पेश करें। पेश नहीं करने की स्थिति में O9 R5 CPC के तहत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 11/1/23 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

~~11/1/23~~

11/1/23

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी ने न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की है। अतः न्यायालय के आदेश की अवहेलना से पत्रावली O9 R5 CPC के तहत खारीज की जाती है। पत्रावली बाद तकमील जरुरी होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.01.02 16:37:52 IST
Reason: SelfAttested

(नागौर)

Scanned with OKEN Scanner